भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II – खंड 1

प्राधिकार से प्रकाशित

संख्या 36] नई दिल्ली, शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 2008/अग्रहायण 14, 1930 (शक)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2008/अग्रहायण 14, 1930 (शक)

संसद का निम्नलिखित अधिनियम 5 दिसम्बर, 2008 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर चुका है और एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:–

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008

संख्या 27 वर्ष 2008

5 दिसम्बर, 2008

एक अधिनियम जो हवाईअड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए शुल्क तथा अन्य प्रभारों को विनियमित करने और हवाई अड्डों के प्रदर्शन मानकों की निगरानी करने हेतु एक विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा विवादों का निर्णय करने और अपीलों का निपटारा करने के लिए अपीलीय अधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु है:

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:–

अध्याय I
प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का नाम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 होगा।

(2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

(3) यह लागू होगा–

(क) उन सभी हवाईअड्डों पर जहाँ हवाई परिवहन सेवाएँ संचालित की जाती हैं या संचालित किए जाने का अभिप्राय है, उन हवाईअड्डों और वायुपट्टियों को छोड़कर जो संघ के सशस्त्र बलों या अर्द्धसैनिक बलों के स्वामित्व में हैं या उनके नियंत्रणाधीन हैं;

(ख) सभी निजी हवाई अड्डे और पट्टे पर दिए गए हवाई अड्डे;

(ग) सभी नागरिक एन्क्लेव;

(घ) सभी प्रमुख हवाईअड्डे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "वैमानिक सेवा" से अभिप्राय ऐसी किसी सेवा से है जो प्रदान की जाती है–

(i) हवाई यातायात प्रबंधन के लिए नौवहन, निगरानी और उससे संबंधित सहायक संचार हेतु;

(ii) किसी हवाई अड्डे पर विमान के अवतरण, ठहराव या पार्किंग के लिए अथवा विमान संचालन के संबंध में उपलब्ध किसी अन्य भू-आधारित सुविधा हेतु;

(iii) किसी हवाई अड्डे पर भू-सुरक्षा सेवाओं हेतु;

(iv) किसी हवाई अड्डे पर विमान, यात्रियों और माल से संबंधित भू-प्रबंधन सेवाओं हेतु;

(v) किसी हवाई अड्डे पर माल-सुविधा हेतु;

(vi) किसी हवाई अड्डे पर विमान को ईंधन उपलब्ध कराने हेतु; और

(vii) किसी हवाई अड्डे पर हितधारक के लिए, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्ति;

(ख) "हवाईअड्डा" से अभिप्राय विमान के उतरने और उड़ान भरने के क्षेत्र से है, जिसमें सामान्यतः रनवे तथा विमान अनुरक्षण और यात्री सुविधाएँ होती हैं और इसमें विमान अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित एयरोड्रोम भी सम्मिलित है;

(ग) "हवाई अड्डा उपयोगकर्ता" से अभिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति से है जो हवाई अड्डे पर वैमानिक सेवाओं का उपयोग करता है या उपयोग करने का इच्छुक है;

(घ) "अपीलीय अधिकरण" से अभिप्राय धारा 17 के अधीन स्थापित विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण से है;

(ङ) "प्राधिकरण" से अभिप्राय धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण से है;

(च) "नागरिक एन्क्लेव" से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है, यदि कोई हो, जो किसी हवाई अड्डे पर उस हवाई अड्डे से या ऐसी सेवा द्वारा हवाई परिवहन सेवाओं पर यात्रा करने वाले यात्रियों के उतरने हेतु आवंटित किया गया हो और इसमें उस क्षेत्र पर स्थित किसी भवन और संरचना की भूमि भी सम्मिलित है;

(छ) "अध्यक्ष" से अभिप्राय धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;

(ज) "पट्टे पर दिया गया हवाई अड्डा" से अभिप्राय ऐसे हवाई अड्डे से है जिसके संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 12A के अधीन पट्टा किया गया है;

(झ) "प्रमुख हवाई अड्डा" से अभिप्राय ऐसे किसी हवाई अड्डे से है जिसका वार्षिक यात्री आवागमन पंद्रह लाख से अधिक है, या जिसे ऐसा होने के लिए नामित किया गया है, अथवा ऐसा कोई अन्य हवाई अड्डा जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट करे;

(ञ) "सदस्य" से अभिप्राय प्राधिकरण के सदस्य से है और इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(ट) "विहित" से अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है;

(ठ) "निजी हवाई अड्डा" का वही अर्थ होगा जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खंड (फ) में उसे प्रदान किया गया है;

(ड) "विनियम" से अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों से है;

(ढ) "सेवा प्रदाता" से अभिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति से है जो वैमानिक सेवाएँ प्रदान करता है और जो किसी हवाई अड्डे पर प्रस्थान करने वाले यात्रियों से उपयोगकर्ता विकास शुल्क अधिरोपित और वसूल करने का पात्र है और इसमें वह प्राधिकरण भी सम्मिलित है जो हवाई अड्डे का प्रबंधन करता है;

(ण) "हितधारक" में हवाई अड्डे का लाइसेंसधारी, वहाँ संचालन करने वाली एयरलाइंस, हवाई नौवहन सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति, व्यक्तियों का कोई संघ, जो प्राधिकरण की राय में यात्री या माल-सुविधा उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है, सम्मिलित है;

(प) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उन्हें प्रदान किए गए हैं।

अध्याय II
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

3. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से तीन माह के भीतर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक प्राधिकरण स्थापित करेगी, जिसे विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा, ताकि वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करे और उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करे।

(2) प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसे शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर प्राप्त होगी, तथा चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय उस स्थान पर होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

4. (1) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

बशर्ते यह कि जब भी प्राधिकरण रक्षा वायुपट्टि में स्थित किसी नागरिक एन्क्लेव से संबंधित किसी विषय का निर्णय करेगा, तब भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव से निम्न श्रेणी का न होने वाला एक अतिरिक्त सदस्य रक्षा मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिनमें योग्यता और सत्यनिष्ठा हो तथा जिन्हें विमानन, अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य या उपभोक्ता मामलों का पर्याप्त ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव हो:

बशर्ते यह कि जो व्यक्ति सरकार की सेवा में है या रहा है, उसे सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने भारत सरकार में सचिव या अतिरिक्त सचिव का पद, अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार में कोई समकक्ष पद, कुल मिलाकर कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक धारण न किया हो:

(3) अध्यक्ष या अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे।

(4) अध्यक्ष या अन्य सदस्य कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे।

(5) अध्यक्ष प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होगा।

(6) प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 5 में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएंगे।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 4 की उपधारा (5) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित सदस्यों वाली एक चयन समिति का गठन करेगी, अर्थात्:–

(क) मंत्रिमंडल सचिव – अध्यक्ष;
(ख) नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव – सदस्य;
(ग) विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग में सचिव – सदस्य;
(घ) रक्षा मंत्रालय में सचिव – सदस्य;
(ङ) नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा नामित एक विशेषज्ञ – सदस्य।

(2) केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न किसी रिक्ति की तिथि से एक माह के भीतर तथा किसी सदस्य या अध्यक्ष के सेवानिवृत्त होने से छह माह पूर्व, उस रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति को संदर्भ भेजेगी।

(3) चयन समिति उसे संदर्भ भेजे जाने की तिथि से एक माह के भीतर रिक्ति के संबंध में अध्यक्ष और सदस्य के चयन को अंतिम रूप देगी।

(4) चयन समिति उसे संदर्भित प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नामों का एक पैनल अनुशंसित करेगी।

(5) प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की अनुशंसा करने से पूर्व, चयन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि उस व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित न हो, जो सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(6) अध्यक्ष या अन्य सदस्य की कोई नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण अमान्य नहीं होगी।

6. (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्य, ऐसे, उस तिथि से जिस दिन वे अपना पद ग्रहण करेंगे, पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे, किन्तु पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:

बशर्ते यह कि कोई अध्यक्ष या अन्य सदस्य, ऐसे, निम्नलिखित आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा–

(क) अध्यक्ष के मामले में, पैंसठ वर्ष की आयु; और
(ख) किसी अन्य सदस्य के मामले में, बासठ वर्ष की आयु।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी सदस्य को प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु जो व्यक्ति अध्यक्ष रह चुका है, वह सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएँ।

(3) अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(4) उपधारा (7) में निहित किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या कोई सदस्य

(क) केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में कम से कम तीन माह की सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है; या

(ख) धारा 7 के उपबंधों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकता है;

(5) अध्यक्ष या कोई सदस्य, ऐसे पद धारण करना बंद कर देने पर–

(क) ऐसे पद को छोड़ने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए अपात्र होगा; और

(ख) ऐसे पद को छोड़ने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक किसी वाणिज्यिक रोजगार, जिसमें निजी प्रैक्टिस भी सम्मिलित है, स्वीकार नहीं करेगा; या

(ग) किसी अन्य प्रकार से प्राधिकरण के समक्ष किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन रोजगार" में भारत के राज्यक्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या सोसाइटी के अधीन रोजगार सम्मिलित है;

(ख) "वाणिज्यिक रोजगार" से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन या उसके अभिकर्ता के रूप में किसी भी क्षमता में रोजगार से है जो व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय व्यवसाय में संलग्न हो, और इसमें किसी कंपनी के निदेशक या किसी फर्म के भागीदार के रूप में कार्य करना भी सम्मिलित है तथा इसमें स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार या सलाहकार के रूप में प्रैक्टिस स्थापित करना भी सम्मिलित है।

7. अध्यक्ष को प्राधिकरण के कार्यों के संचालन में सामान्य अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियाँ होंगी और वह, प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएँ।

8. (1) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या अन्य सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य, जैसा भी मामला हो,–

(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ख) किसी ऐसे अपराध में दोषसिद्ध हुआ हो जो केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता से संबंधित हो; या

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो; या

(ङ) उसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया हो जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो; या

(च) उसने अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय किसी अन्य रोजगार में संलग्नता की हो।

(2) अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर केन्द्रीय सरकार के आदेश के बिना उसके पद से नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में विहित प्रक्रिया के अनुसार जांच कर यह निष्कर्ष न निकाला हो कि सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटाया जाना चाहिए।

(3) केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन जांच प्रारंभ की गई हो या लंबित हो, जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने और उस पर आदेश पारित होने तक निलंबित कर सकती है।

9. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु एक सचिव नियुक्त कर सकती है।

(2) प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(3) सचिव तथा प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें और ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(4) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे विशेषज्ञों और पेशेवरों को, जिनमें सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता हो तथा जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, व्यवसाय या विमानन से संबंधित अन्य विषयों का विशेष ज्ञान और अनुभव हो, उतनी संख्या

में नियुक्त कर सकता है जितना वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता के लिए आवश्यक समझे।

10. (1) प्राधिकरण ऐसे स्थानों और समयों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कार्य संचालन (जिसमें बैठकों का गणपूर्ति भी सम्मिलित है) के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसा विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए।

(2) अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारणवश अध्यक्ष किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो उपस्थित सदस्यों में से चुना गया कोई अन्य सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) प्राधिकरण की किसी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय किए जाएंगे और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(4) उपधारा (3) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।

11. प्राधिकरण के सभी आदेश और निर्णय सचिव या प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित किए जाएंगे, जिसे इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।

12. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्न कारणों से अमान्य नहीं होगी–

(क) प्राधिकरण की संरचना में कोई रिक्ति या कोई दोष; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष; या

(ग) प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता जिससे मामले के गुण-दोष प्रभावित न होते हों।

अध्याय III
प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य

13. (1) प्राधिकरण प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात्:–

(क) वैमानिक सेवाओं के लिए शुल्क का निर्धारण करना, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए–

(i) पूंजीगत व्यय और हवाई अड्डा सुविधाओं के सुधार में समयबद्ध निवेश;

(ii) प्रदान की गई सेवा, उसकी गुणवत्ता और अन्य प्रासंगिक कारक;

(iii) दक्षता में सुधार की लागत;

(iv) प्रमुख हवाई अड्डों का आर्थिक और व्यवहार्य संचालन;

(v) वैमानिक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व;

(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी करार या समझौता ज्ञापन अथवा अन्यथा में दी गई रियायत;

(vii) कोई अन्य कारक जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक हो सकता है:

बशर्ते यह कि विभिन्न हवाई अड्डों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाएँ निर्धारित की जा सकती हैं, उप खंड (i) से (vii) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित सभी या किसी विचार को ध्यान में रखते हुए–

(ख) प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में विकास शुल्क की राशि का निर्धारण करना;

(ग) विमान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए विमान नियम, 1937 के नियम 88 के अधीन अधिरोपित यात्री सेवा शुल्क का निर्धारण करना;

(घ) सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित निर्धारित प्रदर्शन मानकों की निगरानी करना, जैसा कि केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे;

(ङ) खंड (क) के अधीन शुल्क निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना माँगना;

(च) शुल्क से संबंधित ऐसे अन्य कृत्य करना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएँ या इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार शुल्क का निर्धारण करेगा और यदि वह उचित तथा लोकहित में आवश्यक समझे, तो उक्त पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समय-समय पर निर्धारित शुल्क में संशोधन कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय, प्राधिकरण राज्य द्वारा निष्पादित संधि, विलेख या लिखत के अधीन प्रभुसत्ता के हित, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा।

(4) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, अन्य बातों के साथ-साथ,–

(क) हवाईअड्डे के सभी हितधारकों के साथ समुचित परामर्श करके;

(ख) सभी हितधारकों को प्राधिकरण के समक्ष अपने निवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देकर; और

(ग) प्राधिकरण के सभी निर्णयों को पूर्णतः अभिलिखित और स्पष्ट करके।

14. (1) जहाँ प्राधिकरण ऐसा करना समीचीन समझे, वह लिखित आदेश द्वारा–

(क) किसी भी समय किसी सेवा प्रदाता को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपने कृत्यों से संबंधित ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण लिखित रूप में प्रस्तुत करे, जिसकी प्राधिकरण को सेवा प्रदाता के प्रदर्शन का आकलन करने हेतु आवश्यकता हो; या

(ख) किसी सेवा प्रदाता के कार्यकलापों के संबंध में जांच करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है; और

(ग) अपने किसी अधिकारी या कर्मचारी को किसी सेवा प्रदाता के लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने का निर्देश दे सकता है।

(2) जहाँ किसी सेवा प्रदाता के कार्यकलापों के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई जांच की गई हो–

(क) यदि ऐसा सेवा प्रदाता सरकार का कोई विभाग है, तो उस विभाग का प्रत्येक अधिकारी;

(ख) यदि ऐसा सेवा प्रदाता कोई कंपनी है, तो उसका प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी; या

(ग) यदि ऐसा सेवा प्रदाता कोई फर्म है, तो उसका प्रत्येक भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी; या

(घ) प्रत्येक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, जिसका खंड (क) से (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के साथ व्यवसाय के दौरान व्यवहार रहा हो,

जांच करने वाले प्राधिकरण के समक्ष अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में उपलब्ध ऐसे सभी लेखा-बही या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा, जो ऐसी जांच के विषय-वस्तु से संबंधित हों या उस पर प्रभाव डालते हों, और साथ ही उससे संबंधित ऐसा विवरण या सूचना, जैसा भी मामला हो, जो उससे अपेक्षित हो, निर्दिष्ट समय के भीतर प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा।

(3) प्रत्येक सेवा प्रदाता ऐसे लेखा-बही या अन्य दस्तावेज रखेगा, जैसा विहित किया जाए।

(4) प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की निगरानी हेतु ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी, जिन्हें वह सेवा प्रदाताओं के समुचित कार्य संचालन के लिए आवश्यक समझे।

15. प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन से समय-समय पर सेवा प्रदाताओं को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

16. प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी भवन या स्थान में प्रवेश कर सकता है जहाँ प्राधिकरण को यह विश्वास करने का कारण हो कि जांच के विषय-वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज पाया जा सकता है, और वह ऐसा कोई दस्तावेज जब्त कर सकता है या उससे उद्धरण या प्रतिलिपियाँ ले सकता है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन, जहाँ तक वे लागू हों।

अध्याय IV
अपीलीय अधिकरण

17. केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक अपीलीय अधिकरण स्थापित करेगी, जिसे विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण के नाम से जाना जाएगा–

(क) किसी विवाद का निर्णय करने के लिए–

(i) दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच;

(ii) किसी सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के बीच:

बशर्ते यह कि अपीलीय अधिकरण, यदि वह उचित समझे, ऐसे विवाद से संबंधित किसी विषय पर प्राधिकरण की राय प्राप्त कर सकता है:

बशर्ते यह भी कि इस खंड में निहित कोई बात निम्नलिखित विषयों पर लागू नहीं होगी–

(i) एकाधिकार व्यापार व्यवहार, प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार या अनुचित व्यापार व्यवहार से संबंधित विषय, जो एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के अधीन हैं;

(ii) किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता की शिकायत से संबंधित विषय, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 9 के अधीन स्थापित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच या उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के समक्ष विचारणीय हो;

(iii) वे विषय जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के क्षेत्राधिकार में आते हैं;

(iv) निष्कासन के आदेश से संबंधित विषय, जिनके विरुद्ध भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 28ट के अधीन अपील की जा सकती है।

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के किसी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील सुनना और उसका निपटारा करना।

18. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई व्यक्ति, धारा 17 के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी विवाद के निर्णय हेतु अपीलीय अधिकरण में आवेदन कर सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई व्यक्ति, जो प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी निर्देश, निर्णय या आदेश से व्यथित हो, अपीलीय अधिकरण में अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील उस तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी, जिस दिन प्राधिकरण द्वारा किए गए निर्देश, आदेश या निर्णय की प्रति केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या व्यथित व्यक्ति को प्राप्त होती है और वह ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से सत्यापित तथा ऐसे शुल्क सहित होगी, जैसा विहित किया जाए।

बशर्ते यह कि अपीलीय अधिकरण उक्त तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी किसी अपील को ग्रहण कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(4) उपधारा (1) के अधीन आवेदन या उपधारा (2) के अधीन अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय अधिकरण विवाद या अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(5) अपीलीय अधिकरण अपने द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति, जैसा भी मामला हो, विवाद या अपील के पक्षकारों तथा प्राधिकरण को भेजेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन किया गया आवेदन या उपधारा (2) के अधीन की गई अपील का निपटारा यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा और आवेदन या अपील की प्राप्ति की तिथि से नब्बे दिन के भीतर उसका अंतिम निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा:

बशर्ते यह कि यदि ऐसा कोई आवेदन या अपील उक्त नब्बे दिन की अवधि के भीतर निपटाया नहीं जा सके, तो अपीलीय अधिकरण उस अवधि के भीतर आवेदन या अपील का निपटारा न कर पाने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

(7) अपीलीय अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आवेदन में उठाए गए विवाद की वैधता, उपयुक्तता या शुद्धता की जांच करने के लिए, या उपधारा (2) के अधीन अपील में उल्लिखित प्राधिकरण के किसी निर्देश, आदेश या निर्णय की जांच

के लिए, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, ऐसे आवेदन या अपील के निपटारे से संबंधित अभिलेख मंगा सकता है और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

19. (1) अपीलीय अधिकरण में एक अध्यक्ष और अधिकतम दो सदस्य होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी:

बशर्ते यह कि कोई अध्यक्ष या सदस्य, जो किसी अन्य अधिकरण में, जो वर्तमान में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित हो, ऐसे पद पर कार्यरत हो, वह उस अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य होने के अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य, जैसा भी मामला हो, नियुक्त किया जा सकता है।

(2) अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति से परामर्श करके किया जाएगा।

20. कोई व्यक्ति अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह–

(क) अध्यक्ष के मामले में, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो;

(ख) सदस्य के मामले में, भारत सरकार में सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समकक्ष पद कुल मिलाकर कम से कम दो वर्ष तक विमानन, अर्थशास्त्र या विधि से संबंधित मंत्रालयों या विभागों में धारण किया हो, या ऐसा व्यक्ति हो जो विमानन, अर्थशास्त्र या विधि के क्षेत्र में प्रवीण हो।

21. अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, ऐसे, अपने पद ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे:

बशर्ते यह कि कोई अध्यक्ष या अन्य सदस्य, ऐसे, निम्नलिखित आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा,–

(क) अध्यक्ष के मामले में, सत्तर वर्ष की आयु;

(ख) किसी अन्य सदस्य के मामले में, पैंसठ वर्ष की आयु।

22. अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएँ:

बशर्ते यह कि अध्यक्ष या अपीलीय अधिकरण के किसी सदस्य के वेतन और भत्तों अथवा सेवा की अन्य शर्तों में नियुक्ति के पश्चात उसके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

23. यदि अस्थायी अनुपस्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के पद में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति

की नियुक्ति करेगी और कार्यवाही उस अवस्था से अपीलीय अधिकरण के समक्ष जारी रखी जा सकेगी जहाँ रिक्ति भरी गई हो।

24\. (1) केन्द्रीय सरकार अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह–

(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ख) किसी ऐसे अपराध में दोषसिद्ध हुआ हो जो केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता से संबंधित हो; या

(ग) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो; या

(ङ) उसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया हो जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को उस उपधारा के खंड (घ) या खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उच्चतम न्यायालय, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए संदर्भ पर, ऐसी जांच के पश्चात, जो संविधान के अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 220, जैसा भी मामला हो, के उपबंधों के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो, यह प्रतिवेदन न दे कि संबंधित अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाया जा सकता है।

(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय को संदर्भ किया गया हो, उस संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने और उस पर आदेश पारित होने तक पद से निलंबित कर सकती है।

25\. (1) केन्द्रीय सरकार अपीलीय अधिकरण के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(2) अपीलीय अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अपने कृत्यों का निर्वहन उसके अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन करेंगे।

(3) अपीलीय अधिकरण के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएँ।

26\. यदि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के बीच किसी विषय पर मतभेद हो, तो वह विषय बहुमत की राय के अनुसार निर्णय किया जाएगा।

27. अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।

28. किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसका निर्णय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपीलीय अधिकरण करने के लिए सशक्त है, किसी दीवानी न्यायालय को किसी वाद या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी की गई या की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में कोई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी

29. (1) अपीलीय अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन, अपीलीय अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, अपीलीय अधिकरण को निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वाद की सुनवाई करते समय, वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उसे शपथ पर परीक्षण करना;

(ख) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराओं 123 और 124 के उपबंधों के अधीन, किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए आयोग जारी करना;

(च) अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) अनुपस्थिति के कारण किसी आवेदन को खारिज करना या उसका एकपक्षीय निर्णय करना;

(ज) अनुपस्थिति के कारण किसी आवेदन की खारिजी के आदेश को या उसके द्वारा पारित किसी एकपक्षीय आदेश को निरस्त करना; और

(झ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(3) अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195

और अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए अपीलीय अधिकरण को सिविल न्यायालय माना जाएगा।

30. आवेदक या अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हो सकता है या एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत लेखाकार, विधिक व्यवसायी या अपने किसी अधिकारी को अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से अभिप्राय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट से है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो;

(ख) "कंपनी सचिव" से अभिप्राय कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में परिभाषित कंपनी सचिव से है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो;

(ग) "लागत लेखाकार" से अभिप्राय लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिभाषित लागत लेखाकार से है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो;

(घ) "विधिक व्यवसायी" से अभिप्राय किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता, वकील या अटॉर्नी है और इसमें प्रैक्टिस कर रहा प्लीडर भी सम्मिलित है।

31. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, अपीलीय अधिकरण के किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध, जो अंतरिम आदेश न हो, उस संहिता की धारा 100 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जाएगी।

(2) अपीलीय अधिकरण द्वारा पक्षकारों की सहमति से किए गए किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस निर्णय या आदेश की तिथि से, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, नब्बे दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी:

बशर्ते यह कि उच्चतम न्यायालय उक्त नब्बे दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारणों से समय पर अपील प्रस्तुत करने से वंचित रहा।

32. (1) इस अधिनियम के अधीन अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश, सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में अपीलीय अधिकरण द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा

और इस प्रयोजन के लिए अपीलीय अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, अपीलीय अधिकरण अपने द्वारा पारित किसी आदेश को स्थानीय अधिकारिता वाले किसी सिविल न्यायालय को प्रेषित कर सकता है और ऐसा सिविल न्यायालय उस आदेश का निष्पादन ऐसे करेगा मानो वह उसी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री हो।

अध्याय V

वित्त, लेखे और लेखा-परीक्षा

33. प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होगा और उसे सूचना के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करेगा।

34. केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा की गई विधिवत विनियोजन के पश्चात, प्राधिकरण को ऐसी धनराशि अनुदान के रूप में दे सकती है, जो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्तों तथा प्रशासनिक व्ययों, जिनमें प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित हैं, के भुगतान हेतु आवश्यक हो।

35. (1) प्राधिकरण समुचित लेखे और अन्य संबंधित अभिलेख रखेगा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्ररूप में वार्षिक लेखा-विवरण तैयार करेगा।

(2) प्राधिकरण के लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे।

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के लेखों की लेखा-परीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार रखेगा जो सामान्यतः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखों की लेखा-परीक्षा के संबंध में प्राप्त हैं और विशेष रूप से उसे लेखा-बही, लेखों, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेजों और पत्रों की प्रस्तुति की मांग करने तथा प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) प्राधिकरण के लेखे, जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया हो, तथा उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

36. (1) प्राधिकरण, ऐसे समय और ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसा विहित किया जाए या जैसा केन्द्रीय सरकार निर्देश दे, केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्रतिवेदन, विवरण और

उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी विषय से संबंधित ऐसे विवरण उपलब्ध कराएगा, जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष एक बार, ऐसे प्ररूप और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाए, एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसकी गतिविधियों का सारांश होगा और उसकी प्रतियाँ केन्द्रीय सरकार को प्रेषित की जाएँगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त प्रतिवेदन की एक प्रति, प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र, केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय VI
अपराध और दण्ड

37. यदि कोई व्यक्ति अपीलीय अधिकरण के आदेश का जानबूझकर पालन करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक लाख रुपये तक हो सकता है और दूसरी या उसके बाद की किसी अपराध की स्थिति में ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, तथा निरंतर उल्लंघन की स्थिति में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिए दो लाख रुपये तक हो सकता है, जब तक ऐसी चूक जारी रहती है।

38. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, या इस अधिनियम के उपबंधों अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम का उल्लंघन करता है, या उल्लंघन करने का प्रयास करता है, या उल्लंघन के लिए उकसाता है, वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक लाख रुपये तक हो सकता है और दूसरी या उसके बाद की किसी अपराध की स्थिति में ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, तथा निरंतर उल्लंघन की स्थिति में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिए चार हजार रुपये तक हो सकता है, जब तक ऐसी चूक जारी रहती है।

39. यदि कोई व्यक्ति प्राधिकरण या अध्याय IV के अधीन अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश का जानबूझकर पालन करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक लाख रुपये तक हो सकता है और दूसरी या उसके बाद की किसी अपराध की स्थिति में ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो लाख रुपये तक हो सकता है तथा निरंतर असफलता की स्थिति में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिए चार हजार रुपये तक हो सकता है, जब तक ऐसी असफलता जारी रहती है।

40. (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो, वहाँ वह प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कार्यों का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए उत्तरदायी था, तथा कंपनी भी, उस अपराध का दोषी मानी जाएगी और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा:

बशर्ते यह कि इस उपधारा में निहित कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी समुचित सावधानियाँ बरती थीं।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, अथवा उसकी किसी उपेक्षा के कारण किया गया है, तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) "कंपनी" से अभिप्राय किसी निगमित निकाय से है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से अभिप्राय उस फर्म का भागीदार है।

41. (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग या उसके किसी उपक्रम द्वारा किया गया हो, वहाँ उस विभाग या उसके उपक्रम का प्रमुख उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी समुचित सावधानियाँ बरती थीं।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग या उसके उपक्रम द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि अपराध विभाग के प्रमुख के अतिरिक्त किसी अधिकारी या उसके उपक्रम की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, अथवा उसकी किसी उपेक्षा के कारण किया गया है, तो ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा।

अध्याय VII
विविध

42. (1) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर प्राधिकरण को भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित में ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(2) पूर्ववर्ती उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कृत्यों के निर्वहन में नीति संबंधी प्रश्नों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में दिए गए निर्देशों से आबद्ध होगा:

बशर्ते यह कि इस उपधारा के अध्यधीन कोई निर्देश दिए जाने से पूर्व, जहाँ तक संभव हो, प्राधिकरण को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) यह कि कोई प्रश्न नीति संबंधी है या नहीं, इस विषय में केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

43. अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और प्राधिकरण के अन्य कर्मचारी, जब इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने का अभिप्राय रखते हों, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।

44. किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसका निर्णय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकरण करने के लिए सशक्त है, किसी दीवानी न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी।

45. केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

46. धन-कर अधिनियम, 1957, आय-कर अधिनियम, 1961 या वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में संपत्ति, आय, लाभ या प्राप्तियों पर कर से संबंधित किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, लाभ या प्राप्तियों के संबंध में धन-कर, आय-कर या किसी अन्य कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

47. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय तब तक नहीं लेगा जब तक कि प्राधिकरण या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित परिवाद न किया गया हो।

48. प्राधिकरण, सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा, आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अधीन, यदि कोई हों, अपने इस अधिनियम के अधीन प्राप्त ऐसे अधिकारों और कृत्यों (विवादों का निपटारा करने और विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर), जिन्हें वह आवश्यक समझे, अध्यक्ष या किसी सदस्य या प्राधिकरण के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

49. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो–

(क) कि किसी गंभीर आपातस्थिति के कारण प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) कि प्राधिकरण ने इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करने में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में लगातार चूक की है और ऐसी चूक के परिणामस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या

किसी हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वायुपट्टी, नागरिक एन्क्लेव या वैमानिक संचार स्टेशन का प्रशासन बिगड़ गया है; या

(ग) कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण को ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो और छह माह से अधिक न हो, अधिक्रमित कर सकती है:

बशर्ते यह कि खंड (ख) में उल्लिखित कारणों से इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण को यह कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देगी कि उसे अधिक्रमित क्यों न किया जाए और प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों तथा आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अधिक्रमित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर–

(क) सभी सदस्य, अधिक्रमण की तिथि से, ऐसे अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य, जब तक कि उपधारा (5) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं हो जाता, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किए जाएंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार निर्देशित करे;

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन सभी संपत्ति, जब तक कि उपधारा (5) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं हो जाता, केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि समाप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार–

(क) अधिक्रमण की अवधि को, जितनी वह आवश्यक समझे, छह माह से अधिक न होने वाली आगे की अवधि के लिए बढ़ा सकती है; या

(ख) नवीन नियुक्तियों द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकती है और ऐसी स्थिति में वे सदस्य जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए थे, पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं माने जाएंगे:

बशर्ते यह कि केन्द्रीय सरकार, अधिक्रमण की अवधि समाप्त होने से पूर्व, चाहे वह अवधि उपधारा (1) के अधीन मूलतः विनिर्दिष्ट की गई हो या उपधारा (3) के अधीन बढ़ाई गई हो, किसी भी समय प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकती है।

(4) केन्द्रीय सरकार धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना तथा इस धारा के अधीन की गई किसी कार्यवाही का पूर्ण प्रतिवेदन और ऐसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

50. इस अधिनियम के उपबंध वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

51. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, और उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;

(ख) वह प्ररूप और रीति तथा वह प्राधिकरण जिसके समक्ष धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन पद और गोपनीयता की शपथ ली और हस्ताक्षरित की जाएगी;

(ग) धारा 7 के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग या निर्वहन की जाने वाली शक्तियाँ और कृत्य;

(घ) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली किसी जांच की प्रक्रिया;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन सचिव, अधिकारियों और प्राधिकरण के अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;

(च) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन निगरानी किए जाने वाले सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित प्रदर्शन मानक;

(छ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन सेवा प्रदाता द्वारा रखी जाने वाली लेखा-बही या अन्य दस्तावेज;

(ज) धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन उस प्ररूप का सत्यापन किस प्रकार और किस रीति से किया जाएगा तथा उसके साथ संलग्न की जाने वाली फीस;

(झ) धारा 22 के अधीन अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;

(ञ) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन अपीलीय अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;

(ट) धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन वे विषय जिनके संबंध में प्राधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी;

(ठ) वह प्ररूप जिसमें प्राधिकरण अपना बजट तैयार करेगा, तथा वह समय और वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसा बजट धारा 33 के अधीन तैयार किया जाएगा;

(ड) वह प्ररूप जिसमें प्राधिकरण द्वारा समुचित लेखे और अन्य संबंधित अभिलेख रखे जाएंगे तथा धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा-विवरण तैयार किया जाएगा;

(ढ) वह प्ररूप, रीति और समय जिसमें धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रतिवेदन और विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ण) वह प्ररूप और समय जिसमें धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा;

(त) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है अथवा जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

52. (1) प्राधिकरण, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के असंगत न होने वाले विनियम बना सकता है, ताकि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी किया जा सके।

(2) विशेष रूप से, और उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन विशेषज्ञों और पेशेवरों को नियुक्त करने की प्रक्रिया;

(ख) प्राधिकरण की बैठकों के स्थान और समय तथा उन बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन बैठक का गणपूर्ति (कोरम) भी सम्मिलित है;

(ग) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सकता हो।

53. केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो अथवा अधिक अनुवर्ती सत्रों में सम्मिलित हो सकती है, और यदि उस सत्र या उपर्युक्त अनुवर्ती सत्रों के तुरंत पश्चात वाले सत्र की समाप्ति से पूर्व, दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हो जाएँ या यह सहमत हो जाएँ कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना

चाहिए, तो उसके पश्चात वह नियम या विनियम केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या, जैसा मामला हो, प्रभावहीन हो जाएगा; तथापि ऐसा कोई संशोधन या निरसन उस नियम या विनियम के अधीन पूर्व में किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

54. इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों में उसमें विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा और ऐसा संशोधन प्राधिकरण की स्थापना की तिथि से प्रभावी होगा।

55. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकती है, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची
[धारा 54 देखिए]

वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधन
(1934 का 22)

धारा 5, उपधारा (2), खंड (ख) में, "या वायु परिवहन सेवाओं के संचालकों के टैरिफ का पुनरीक्षण" के स्थान पर "या वायु परिवहन सेवाओं के संचालकों के टैरिफ का पुनरीक्षण [भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट टैरिफ के अतिरिक्त]" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में संशोधन
(1994 का 55)

1. धारा 22A में, "प्राधिकरण कर सकेगा" शब्दों से प्रारम्भ होकर "के प्रयोजनों के लिए" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"प्राधिकरण–

(i) इस निमित्त केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के पश्चात, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमुख हवाईअड्डों के अतिरिक्त अन्य हवाईअड्डों पर यात्रा प्रारम्भ करने वाले यात्रियों से, विहित दर पर विकास शुल्क अधिरोपित और संग्रहित कर सकेगा;

(ii) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमुख हवाईअड्डों पर यात्रा प्रारम्भ करने वाले यात्रियों से, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्धारित दर पर विकास शुल्क अधिरोपित और संग्रहित कर सकेगा;

और ऐसे शुल्क प्राधिकरण के खाते में जमा किए जाएंगे तथा विहित रीति से विनियमित और उपयोग किए जाएंगे, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए"।

2. धारा 41 की उपधारा (2) के खंड (कक) में, "विकास शुल्क की दरें हैं" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा–

"प्रमुख हवाईअड्डों के अतिरिक्त अन्य हवाई अड्डों के संबंध में विकास शुल्क की दरें हैं और"।

टी. के. विश्वनाथन,
सचिव, भारत सरकार